निर्णय बइजलास श्री दिव्यराज सिंह चूण्डावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या :9 / 2015

तारीख दायरा 30.03.2015

उनवान

भंवरसिंह पुत्र मनोहर सिंह जाति राजपूत निवारी कुन्दनपुर तहसील सांगोद हाल मुकाम भीमपुरा तहसील लाडपुरा कोटा जिला कोटा राजस्थान। — वादी

वनाम

1. योगेन्द्र सिंह पुत्र मनोहर सिंह जाति राजपूत।
2. शांतिबाई वेवा मनोहर सिंह जाति राजपूत निवासीगण कुन्दनपुर हाल निवासी भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
3. चतर सिंह पुत्र मदन सिंह जाति राजपूत निवारी कुन्दनपुर।
4. रघुवीर सिंह पुत्र मदन सिंह जाति राजपूत निवासी कुन्दनपुर तहसील सांगोद।
5. भंवर सिंह माता उच्छब वाई जाति राजपूत।
6. सोभाग सिंह माता उच्छब बाई जाति राजपूत निवासी बिशनखेडी तह0 खानपुर।
7. पप्पू माता उच्छब बाई जाति राजपूत निवासी बिशनखेडी तह0 खानपुर।
8. लेधियान वाई माता उच्छब बाई जाति राजपूत निवासी बिशनखेडी तह0 खानपुर।
9. वेबी कंवर माता उच्छब बाई जाति राजपूत निवासी बिशनखेडी तहसील खानपुर जिला झालावाड राजस्थान।
10. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब सांगोद।
11. बैंक ऑफ राजस्थान कनवास शाखा कनवास जिला कोटा। — प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 आर. टी. एक्ट

उपस्थित :—

श्री महेश कुमार तिवारी (वकील वादी)

श्री सरकार पैरोकार

दिनांक :— 19.6.2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Divyaraj Singh Chundawat
Date: 2024.02.02 12:05:17 IST
Reason: SelfAttested



उपखण्ड मजिस्ट्रेट
साँगोद, जिला- कोटा

—निर्णय—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी व प्रतिवादीगण नं0 1 ता 4 के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की पुश्तैनी आराजी माल ग्राम कुन्दनपुर पटवार हलका कुन्दनपुर तहसील सांगोद में खाता सं0 नई 46 पुरानी 38 के खसरा नं0 164 की 0.30 है0, खसरा नं0 165 की 0.31 है0, खसरा नं0 166 की 0.36 है0, खसरा नं0 186 की 0.18 है0, खसरा नं0 279 की 0.01 है0, खसरा नं0 345 की 0.22 है0, खसरा नं0 404 की 0.26 है0 कुल 7 किता की 1.64 है0 आराजीयात स्थित है, जो कि खसरा नं0 186 की आराजी को छोडकर शेष आराजी प्रतिवादी नं0 11 बैंक ऑफ राजस्थान कनवास के रहन दर्ज है। जिसकी कोई राशि वादी व प्रतिवादीगण के उपर बकाया नहीं है तथा कई बार निवेदन करने पर भी वादी को नोड्यूज नहीं दिया गया है। वाद पत्र में वर्णित आराजीयात वादी की पुश्तैनी आराजी है जिसमें वादी के पिता स्व0 मनोहर सिंह व प्रतिवादी नं0 3 व 4 चतर सिंह, रघुवीर सिंह ने अपनी बहिन स्व0 उच्छव बाई की सहमति से आज से करीब 35–40 वर्ष पूर्व अर्थात मनोहर सिंह के जीवन काल में ही आपसी सहमति से पारिवारिक विभाजन कर लिया था तथा पारिवारिक विभाजन अनुसार वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 के पिता स्व0 मनोहर सिंह के हिस्से में माल ग्राम कुन्दनपुर की खसरा नं0 165 की 0.31 है0, खसरा नं. 186 की 0.18 है0, खसरा नं0 404 की 0.26 हैक्टर आराजी हिस्से में आयी थी, जिस पर स्व0 मनोहर सिंह के जीवनकाल से ही शांति पूर्वक काबिज काश्त व उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं तथा स्व0 उच्छब बाई ने करीब 35–40 वर्ष पूर्व ही आपसी सहमति से अपना हिस्सा तीनों भाईयों के हक में छोड (हक त्याग) दिया है। ऐसी स्थिति में उक्त आराजी से अब स्व0 उच्छव बाई का कोई लेना देना नहीं है, मात्र राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज है तथा मौके पर भी खसरा नं0 165 की 0.31 है0, खसरा नं0 186 की 0.18 है0, खसरा नं0 404 की 0.26 है0 आराजी को स्व0 मनोहर सिंह व उनकी मृत्यु के बाद से वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 शांति पूर्वक काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं तथा शेष रही आराजी को प्रतिवादी नं0 3 व 4 काश्त करते चले आ रहे हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divyaraj Singh Chundawat
Date: 2024.02.02 12:05:17 IST
Reason: SelfAttested

वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 उक्त आराजी को बहैसियत काश्तकार आराजी काश्त करते चले आ रहे है, परन्तु राजस्व रिकार्ड में सम्मिलित नाम दर्ज होने



उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला– कोटा

से वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 को अपनी आराजी का विकास कार्य करवाने व कृषि ऋण आदि लेने में काफी परेशानी होती है, जिसमें वादी द्वारा प्रतिवादी नं0 3 व 4 से तहसील कार्यालय में चलकर मौके पर कब्जे काश्त अनुसार आराजी का विभाजन करवाने की कहने पर उनके द्वारा मना कर देने व तैयार नहीं होने से माननीय न्यायालय में उक्त वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है, जिसके लिए उक्त वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 के पक्ष में व प्रतिवादीगण कम 3 ता 11 के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री सादिर पारित फरमायी जावे कि :–

माल ग्राम कुन्दनपुर तहसील सांगोद की खाता सं0 नई 46 के खसरा नं0 165 की 0.31 है0, खसरा नं0 186 की 0.18 है0, खसरा नं0 404 की 0.26 है0, आराजी जो आज से करीब 35–40 वर्ष पूर्व हुए पारिवारिक विभाजन अनुसार वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 मौके पर शांति पूर्वक काविज काश्त में है, का वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 को खातेदार कृपक घोपित किया जाकर घोपणा की डिकी पारित फरमायी जावे तथा शेष आराजी का प्रतिवादी नं0 3 व 4 को खातेदार कृपक घोपित किया जावे।उक्त घोपणा अनुसार इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के सादिर आदेश पारित फरमावे। साथ ही उक्त घोपणा के अनुकम में स्व0 उच्छव बाई का नाम खाते से डिलीट किये जाने के सादिर आदेश पारित फरमावे। इस आशय की घोपणा व विभाजन व इन्द्राज दुरस्ती की डिकी सादिर पारित फरमायी जावे तथा राज लगान भी पृथक–पृथक किया जा कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के सादिर आदेश पारित फरमावें। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 10 फॉर्मल पक्षकार है।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी की गई। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 एवं 7 की ओर से वकील श्री वहादुर सिंह ने वकालत नामा पेश किया। प्रतिवादी सं. 5, 6, 8, 9 की ओर से वकील श्री ओम प्रकाश नामा ने वकालत नामा पेश किया। प्रतिवादी सं. 11 की ओर से वकील श्री अशोक कुमार जैन ने वकालत नामा पेश किया। प्रतिवादी सं 1 ता 3 एवं 5 ता 9 की ओर से इकवाली जवाव दावा प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादी सं. 4 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद पत्र में वर्णित तथ्यों ... राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार अच्छी में से अच्छी ... के आधार पर आराजी का विभाजन करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Divyaraj Singh Chundawat
Date: 2024.02.02 12:05:17 IST
Reason: SelfAttested



उपखण्ड मजिस्ट्रेट
साँगोद, जिला- कोटा

हेतु प्रार्थना की। प्रतिवादी सं. 11 ने वाद ग्रस्त आराजी पर रहन भार होना व्यक्त कर वाद पत्र स्वीकार करने पर आपत्ति व्यक्त की।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, नकल जमाबंदी, राजस्व रेकार्ड, प्रतिवादीगण के जवाब दावों, इकबाली जवाब दावों आदि के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्राथमिक रूप से डिक्री किया गया तथा विवादित आराजी में से उच्छब बाई का नाम डिलीट किया जाने तथा उक्त आराजी पर पक्षकारों की सहमति हो तो मौके पर काबिज काश्त की स्थिति अनुसार अन्यथा वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से पृथक से दर्ज कर अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के आधार पर विभाजन रिपोर्ट तैयार करने हेतु तहसीलदार सांगोद को कमीशनर नियुक्त किया गया एवं कमीशनर फीस 200 रूपये मुकर्रर की गई।

तहसीलदार सांगोद द्वारा पत्रांक भू.अ./2023/1136 दिनांक 24.04.2023 के माध्यम से प्रकरण में पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया। मेरे द्वारा विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सांगोद द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर किसी भी पक्षकार द्वारा कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। अतः तहसीलदार सांगोद द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकर किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में आदेश दिये जाते हैं कि–

माल ग्राम कुन्दनपुर पटवार हलका कुन्दनपुर तहसील सांगोद में खाता सं0 नई 46 पुरानी 38 के खसरा नं0 164 की 0.30 है0, खसरा नं0 165 की 0.31 है0, खसरा नं0 166 की 0.36 है0, खसरा नं0 186 की 0.18 है0, खसरा नं0 279 की 0.01 है0, खसरा नं0 345 की 0.22 है0, खसरा नं0 404 की 0.26 है0 कुल 7 किता की 1.64 है0 आराजीयात में पक्षकारान को निम्नानुसार खातेदार कृपक घोषित किया जाता है–

| माल ग्राम | खातेदार का नाम | ख.न. | रकबा | किस्म | लगान रू. |
|---|---|---|---|---|---|
| कुन्दनपुर | भंवर सिंह पुत्र मनोहर सिंह जाति राजपूत | 165 | 0.10 है. उत्तरी | चाही प्रथम | 2.20 |
| | | 186 | 0.06 है. उत्तरी | चाही द्वितीय | 1.62 |
| | | 404 | [illegible] है. उत्तरी | बारानी तृतीय | 0.36 |
| | | कुल [illegible] किता कुल 0.25 है. आराजी | | | 4.18 |

Signature Not Verified
Digitally signed by Divyaraj Singh Chundawat
Date: 2024.02.02 12:05:17 IST
Reason: SelfAttested



उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला- कोटा

| माल ग्राम | खातेदार का नाम | ख.न. | रकवा | किस्म | लगान रू. |
|---|---|---|---|---|---|
| कुन्दनपुर | योगेन्द्र सिंह पुत्र मनोहर सिंह जाति राजपूत | 165 | 0.11 है. मध्य | चाही प्रथम | 2.42 |
| | | 186 | 0.06 है. मध्य | चाही द्वितीय | 1.62 |
| | | 404 | 0.08 है. मध्य | वारानी तृतीय | 0.32 |
| | | कुल 3 किता की कुल 0.25 है. आराजी | | | 4.36 |

| माल ग्राम | खातेदार का नाम | ख.न. | रकवा | किस्म | लगान रू. |
|---|---|---|---|---|---|
| कुन्दनपुर | शांति वाई पत्नि स्व. मनोहर सिंह जाति राजपूत | 165 | 0.10 है. दक्षिणी | चाही प्रथम | 2.20 |
| | | 186 | 0.06 है. दक्षिणी | चाही द्वितीय | 1.62 |
| | | 404 | 0.09 है. दक्षिणी | वारानी तृतीय | 0.36 |
| | | कुल 3 किता की कुल 0.25 है. आराजी | | | 4.18 |

| माल ग्राम | खातेदार का नाम | ख.न. | रकवा | किस्म | लगान रू. |
|---|---|---|---|---|---|
| कुन्दनपुर | रघुवीर सिंह पुत्र मदन सिंह जाति राजपूत | 345 | 0.08 है. दक्षिणी | चाही प्रथम | 2.48 |
| | | 166 | 0.36 है. संपूर्ण | चाही तृतीय | 7.92 |
| | | 279 | 0.005 है. दक्षिणी | खेडा प्रथम | 0.08 |
| | | कुल 3 किता की कुल 0.445 है. आराजी | | | 10.48 |

| माल ग्राम | खातेदार का नाम | ख.न. | रकबा | किस्म | लगान रू. |
|---|---|---|---|---|---|
| कुन्दनपुर | चतर सिंह पुत्र मदन सिंह जाति राजपूत (नामा. 394 दिनांक 2.1.23 मृतक चतर सिंह का विरासतन प्रक्रियाधीन) | 345 | 0.14 है. उत्तरी | चाही प्रथम | 4.34 |
| | | 164 | 0.30 है. संपूर्ण | चाही तृतीय | 6.60 |
| | | 279 | 0.005 है. उत्तरी | खेडा प्रथम | 0.08 |
| | | कुल [illegible] किता [illegible] कुल 0.445 है. आराजी | | | 11.02 |

Signature Not Verified
Digitally signed by Divyaraj Singh Chundawat
Date: 2024.02.02 12:05:17 IST
Reason: SelfAttested



उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला- कोटा

उपरोक्तानुसार पक्षकारान को खातेदारा कृपक घोपित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में विभाजन प्रस्ताव अनुसार आराजी पृथक–पृथक खाते दर्ज की जाकर राज लगान का अंकन भी पृथक से किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार मूल खातेदार पर यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करे।

(दिव्यराज सिंह चूण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चूण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Divyaraj Singh Chundawat
Date: 2024.02.02 12:05:17 IST
Reason: SelfAttested

फर्द डिक्री मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास श्री दिव्यराज सिंह चूण्डावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 9/2015

तारीख दायरा 30.03.2015

उनवान

भंवर सिंह पुत्र मनोहर सिंह जाति राजपूत निवासी कुन्दनपुर तहसील सांगोद हाल मुकाम भीमपुरा तहसील लाडपुरा कोटा जिला कोटा राजस्थान। – वादी

बनाम

1. योगेन्द्र सिंह पुत्र मनोहर सिंह जाति राजपूत।
2. शांति बाई बेवा मनोहर सिंह जाति राजपूत निवासीगण कुन्दनपुर हाल निवासी भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
3. चतर सिंह पुत्र मदन सिंह जाति राजपूत निवासी कुन्दनपुर।
4. रघुवीर सिंह पुत्र मदन सिंह जाति राजपूत निवासी कुन्दनपुर तहसील सांगोद।
5. भंवर सिंह माता उच्छब बाई जाति राजपूत।
6. सोभाग सिंह माता उच्छब बाई जाति राजपूत निवासी बिशनखेडी तह0 खानपुर।
7. पप्पू माता उच्छब बाई जाति राजपूत निवासी बिशनखेडी तह0 खानपुर।
8. लेधियान बाई माता उच्छब बाई जाति राजपूत निवासी बिशनखेडी तह0 खानपुर।
9. बेबी कंवर माता उच्छब बाई जाति राजपूत निवासी बिशनखेडी तहसील खानपुर जिला झालावाड राजस्थान।
10. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डरतहसीलदार साहब सांगोद।
11. बैंक ऑफ राजस्थान शाखा कनवास जिला कोटा। – प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 आर. टी. एक्ट

Signature Not Verified

Digitally signed by Divyaraj Singh Chundawat
Date: 2024.02.02 13:05:17 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :–

श्री महेश कुमार तिवारी (वकील वादीगण) दिनांक :– 19.6.2023

श्री सरकार पैरोकार



उपखण्ड मजिस्ट्रेट
साँगोद, जिला- कोटा

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कर्ताई रूबरू मुझ श्री दिव्यराज सिंह चूण्डावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री महेश कुमार तिवारी मिन जानिब मुदई रूबरू श्री ........ मिन जानिब मुद दायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि–

माल ग्राम कुन्दनपुर पटवार हलका कुन्दनपुर तहसील सांगोद में खाता सं0 नई 46 पुरानी 38 के खसरा नं0 164 की 0.30 है0, खसरा नं0 165 की 0.31 है0, खसरा नं0 166 की 0.36 है0, खसरा नं0 186 की 0.18 है0, खसरा नं0 279 की 0.01 है0, खसरा नं0 345 की 0.22 है0, खसरा नं0 404 की 0.26 है0 कुल 7 किता की 1.64 है0 आराजीयात में पक्षकारान को निम्नानुसार खातेदार कृपक घोपित किया जाता है–

| माल ग्राम | खातेदार का नाम | ख.न. | रकवा | किस्म | लगान रू. |
|---|---|---|---|---|---|
| कुन्दनपुर | भंवर सिंह पुत्र मनोहर सिंह जाति राजपूत | 165 | 0.10 है. उत्तरी | चाही प्रथम | 2.20 |
| | | 186 | 0.06 है. उत्तरी | चाही द्वितीय | 1.62 |
| | | 404 | 0.09 है. उत्तरी | बारानी तृतीय | 0.36 |
| | | कुल 3 किता की कुल 0.25 है. आराजी | | | 4.18 |

| माल ग्राम | खातेदार का नाम | ख.न. | रकवा | किस्म | लगान रू. |
|---|---|---|---|---|---|
| कुन्दनपुर | योगेन्द्र सिंह पुत्र मनोहर सिंह जाति राजपूत | 165 | 0.11 है. मध्य | चाही प्रथम | 2.42 |
| | | 186 | 0.06 है. मध्य | चाही द्वितीय | 1.62 |
| | | 404 | 0.08 है. मध्य | बारानी तृतीय | 0.32 |
| | | कुल 3 किता की कुल 0.25 है. आराजी | | | 4.36 |

| माल ग्राम | खातेदार का नाम | ख.न. | रकवा | किस्म | लगान रू. |
|---|---|---|---|---|---|
| कुन्दनपुर | शांति बाई पत्नि स्व. मनोहर सिंह जाति राजपूत | 165 | 0.10 है. दक्षिणी | चाही प्रथम | 2.20 |
| | | 186 | [illegible] है. दक्षिणी | चाही द्वितीय | 1.62 |
| | | 404 | [illegible] है. दक्षिणी | बारानी तृतीय | 0.36 |
| | | कुल 3 किता की कुल 0.25 है. आराजी | | | 4.18 |

Signature Not Verified
Digitally signed by Divyaraj Singh Chundawat
Date: 2024.02.02 12:05:17 IST
Reason: Self Attested



उपखण्ड मजिस्ट्रेट
साँगोद, जिला- कोटा

| माल ग्राम | खातेदार का नाम | ख.न. | रकबा | किस्म | लगान रू. |
|---|---|---|---|---|---|
| कुन्दनपुर | रघुवीर सिंह पुत्र मदन सिंह जाति राजपूत | 345 | 0.08 है. दक्षिणी | चाही प्रथम | 2.48 |
| | | 166 | 0.36 है. संपूर्ण | चाही तृतीय | 7.92 |
| | | 279 | 0.005 है. दक्षिणी | खेडा प्रथम | 0.08 |
| | | कुल 3 किता की कुल 0.445 है. आराजी | | | 10.48 |

| माल ग्राम | खातेदार का नाम | ख.न. | रकबा | किस्म | लगान रू. |
|---|---|---|---|---|---|
| कुन्दनपुर | चतर सिंह पुत्र मदन सिंह जाति राजपूत (नामा.394 दिनांक 2.1.23 मृतक चतर सिंह का विरासतन प्रक्रियाधीन) | 345 | 0.14 है. उत्तरी | चाही प्रथम | 4.34 |
| | | 164 | 0.30 है. संपूर्ण | चाही तृतीय | 6.60 |
| | | 279 | 0.005 है. उत्तरी | खेडा प्रथम | 0.08 |
| | | कुल 3 किता की कुल 0.445 है. आराजी | | | 11.02 |

उपरोक्तानुसार पक्षकारान को खातेदारा कृपक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में विभाजन प्रस्ताव अनुसार आराजी पृथक–पृथक खाते दर्ज की जाकर राज लगान का अंकन भी पृथक से किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार मूल खातेदार पर यथावत रहेगा।

तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... x ...मुवलिग ....x ...बाबत ...x ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ...x ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... x ..को अदा करें।

बराब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत [illegible] तारीख को जारी की गई।

मोहर .........................

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Divyaraj Singh Chundawat
Date: 2024.02.02 12:05:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
दिव्यराज सिंह चूण्डावत
सांगोद, जिला- कोटा
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

| मुद्दई | रुपया | पै | मुद्दायलाह | रुपया |
|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा .... | NIL | | स्टाम्प वकालत नामा .... | NIL |
| स्टाम्प वकालत नामा .... | | | स्टाम्प अर्जी .... | |
| स्टाम्प वजह सबूत .... | | | महनताना वकील .... | |
| महनताना वकील .... | | | खर्चा गवाहान .... | |
| खर्चा गवाहान .... | | | फीस कमिश्नर .... | |
| फीस कमिश्नर .... | | | बाबत इजराय हुकम नामा .... | |
| बाबत इजराय हुकम नामा .... | | | मुतफर्रिक .... | |
| मुतफर्रिक .... | | | मीजान .... | |
| मीजान .... | | | | |

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिग्री के जरिये दिलाया गया है या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

दिव्यराज सिंह चुण्डावत
उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर

Signature Not Verified

Digitally signed by Divyaraj Singh Chundawat
Date: 2024.02.02 12:05:17 IST
Reason: SelfAttested